



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23572

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2424/2026

ऋषभ अहीर @ राहुल

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : रोहित पांडे, योगेश कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जी.ए.

कोर्ट नं. - 65

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री चंदन सिंह तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया।
2. आवेदक-ऋषभ अहीर @ राहुल ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान धारा 376, 328, 504, 506, 120-बी आई.पी.सी., पुलिस स्टेशन अधलहाट, जिला मिर्जापुर के तहत 2025 के अपराध संख्या 34 में जमानत पर जमानत पर विस्तार करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान जमानत याचिका दायर की है।
3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि 02.10.2021 को, सह-अभियुक्त, अर्चना सिंह ने सूचनाकर्ता को अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया था, इसलिए वह अपनी पार्टी में गई थी, जहां आरोपी अर्चना सिंह ने अपने भोजन में कुछ पदार्थ डाला था, जिसके कारण वह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बेहोश हो गई और जब सुबह होश में आया, तो सह-आरोपी द्वारा बताया गया कि आवेदक ने बलात्कार किया था और एक वीडियो भी तैयार किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घटना कथित तौर पर 02.10.2021 को हुई थी, जबकि एफ.आई.आर. को 05.02.2025 को दर्ज किया गया है, इस तरह की अत्यधिक देरी का कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज किए गए अपने प्रथम बयान में पीड़िता ने अपने बयान में इस हद तक सुधार नहीं किया है कि आवेदक उसके बगल में सो रहा था। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि आवेदक ने उसे अन्य बयानों के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जैसा कि उसके पिछले बयान में कहा गया है। विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद तर्क दिया कि पीड़िता का बाद का बयान (मजीद का बयान) भी दर्ज किया गया, जो एक विस्तृत बयान है जिसमें पीड़िता ने आवेदक के खिलाफ आरोप लगाए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने गहन जांच के बाद पाया कि कथित अपराध के कमीशन में आवेदक की संलिप्तता का पता नहीं चला है और उसने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके बाद, संबंधित प्राधिकारी के आदेश के अनुसार, मामले की फिर से जांच की गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीड़िता तीन बच्चों की मां है और पीड़िता आवेदक के घर के पास रहती है और जांच के दौरान, जांच अधिकारी द्वारा आवेदक के स्थान का तीन बार पता लगाया गया, जिसने गाओ, मध्य प्रदेश में आवेदक के स्थान का पता लगाया, कॉल विवरण रिकॉर्ड की प्रति जमानत आवेदन के साथ हलफनामे के साथ अनुलग्नक-6 के रूप में संलग्न है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जो न्यायालय उस पर लागू करना उचित समझे। इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि आवेदक 22.12.2025 से जेल में बंद है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक जमानत का हकदार है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान एजीए ने तर्क दिया है कि आवेदक के खिलाफ विशिष्ट आरोप है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी भोग के लायक नहीं है।

6. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दिनांक 02.04.2025 को आगे की जांच का आदेश पारित करने के बाद, पीड़ित का बयान 26.05.2025 को दर्ज किया गया है, जिसे सी.डी. 23 में समर्थित किया गया है। पीड़िता ने न केवल अपने बयानों में बल्कि आगे की जांच के आदेश के बाद दर्ज किए गए अपने बयान में भी न केवल आवेदक के खिलाफ बल्कि सह-आरोपी अर्चना सिंह के खिलाफ भी विशिष्ट आरोप लगाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वीडियो बरामद कर लिया गया है, जिसे पेन-ड्राइव में रखा गया है और फॉरेंसिक प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भी भेजा गया है, जैसा कि सी.डी. 20 में वर्णित है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक ने अपराध किया है और इसलिए, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

7. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि कथित अपराध के कमीशन में आवेदक की मिलीभगत बनाई गई है। पीड़िता ने आवेदक और सह-आरोपी के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए हैं। पीड़िता द्वारा अपने बयानों में कौन से संस्करण पूरी तरह से समर्थित हैं, या तो आगे की जांच के आदेश से पहले या आगे की जांच के आदेश पारित होने के बाद।

8. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क, अपराध की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे आरोपी-आवेदक के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने का कोई अच्छा कारण नहीं दिखता है।

9. तदनुसार, जमानत आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

(डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



फ़रवरी 3, 2026

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"